FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम-[illegible])

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम श्री डूंगरगढ़

[illegible] कंवर पत्नी स्व. सोहनसिंह जाति राजपूत निवासी मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ

बनाम

बेगाराम वगै0

मु. नं. 1139 सन 2021

किस्म मुकदमा–

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
14.01.2022	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थना पत्र बाबत् मौका निरीक्षक नियुक्ति पर वकील अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने पर बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील प्रार्थी/वादी का कथन है कि उक्त वादगत भूमि उसकी संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थीया ने खेत में ट्यूबवैल बनाकर उक्त खेत को सिंचित बना रखा है। प्रार्थीया के खेत ख.नं. 1380 में आवागमन का एक रास्ता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, जिससे प्रतिवादीगण आवागमन करते है। उक्त रास्ता कटाणी मार्ग ना होकर चालू रास्ता है। जिसे प्रार्थीया ने आवागमन हेतु छोड़ रखा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के खेत में से एक और रास्ता कायम करना चाहते है। उनके ऐसा करने से प्रार्थीया की कास्त की गई फसल को नुकसान होगा। अप्रार्थीगण को अपनी सुविधा के हिसाब से रास्ता कायमी का अधिकार नहीं है। खेत में आवागमन हेतु रास्ता मौजूद है, जिससे अप्रार्थीगण आवागमन कर सकते है। अतः प्रकरण में वास्तविक रिपोर्ट मंगवाई जाकर न्यायालय को वास्तविक स्थिति के बारे में जानकारी हो सकती है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। वकील अप्रार्थी/प्रतिवादी द्वारा वादगत भूमि के क्रम में प्रार्थी/वादी द्वारा लगाये गये प्रार्थना पत्र के जवाब व बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को नकारते हुवे कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है। अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार श्रीडूंगरगढ़ कार्यालय में लगाये गये एक अन्य प्रार्थना पत्र बावत् बन्द रास्ता खुलवाने का पेश करने पर पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के बाद किसी भी प्रकार की मौका निरीक्षण रिपोर्ट की आवश्यकता ही नहीं होगी और मौका निरीक्षण की रिपोर्ट मंगवाने से न्यायालय का समय खराब होगा। इसलिये प्रार्थना पत्र बावत् मौका निरीक्षण इ[illegible] जावें। हमने उभयपक्ष की बहस [illegible] जव[illegible] पर मनन किया। प्रकरण में इस स्टेज प[illegible] भी रिपोर्ट मंगवाया जाना हम उ[illegible] प्रकरण का मुख्य बिन्दु अथवा आधार ही उक्त रास्ता है। [illegible] क्रम में अपने अपने पक्ष को साबित करना प्रार्थी व अप्रार्थीगण के जिम्मे है। ऐसे में मौका निरीक्षक/निरीक्षक नियुक्त कर रिपोर्ट मंगवाया जाना न्यायोचित नहीं है। ऐसे करने से किसी भी पक्षकार के हितों का हनन होने की पूरी सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र बावत् मौका निरीक्षक/निरीक्षण नियुक्ति का सारहीन होने से खारिज किया जाता है। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का	

उपखण्ड अधिकारी (बीकानेर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:17:18 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स [illegible]	[illegible] इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

जवाब अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 03.01.2022 को पेश होने से वकील उभयपक्ष की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी का कथन है कि वादगत भूमि ग्राम मोमासर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के खेत खसरा संख्या 1380 तादादी 4.78 हैक्टेयर प्रार्थीया की पुत्रियां बाबूडी कंवर व ममता कंवर की संयुक्त खातेदारी भूमि है। प्रार्थीया ने खेत में ट्यूबवैल बनाकर विद्युत कनैक्शन भी ले रखा है। उक्त खेत प्रार्थीया के कब्जे काश्त में है जिसे सिंचित बना रखा है। प्रार्थीया के खेत में आवागमन का एक रास्ता है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, जिससे अप्रार्थी संख्या 1 ता 19 आवागमन करते है। उक्त रास्ता कटाणी मार्ग ना होकर एक चालू रास्ता है। जिसे प्रार्थीया ने आवागमन हेतु छोड़ रखा है। अप्रार्थीगण प्रार्थीया के खेत में से अपने सुखाचार हेतु एक और रास्ता कायम करना चाहते है। उनके ऐसा करने में कामयाब होने से काश्त की गई फसल को नुकसान होगा। जिससे प्रार्थीया को अपूर्णीय क्षति होगी। वादगत खेत प्रार्थीया का खातेदारी कब्जा काश्त व उपभोग उपयोग का खेत है। प्रार्थीया के खेत में आवागमन हेतु रास्ता मौजूद है, जिससे अप्रार्थीगण आवागमन कर सकते है। अप्रार्थीगण को अपनी सुविधा के हिसाब से अन्य रास्ता कायमी का अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द करें कि प्रार्थीया के सिंचित खेत की फसल को खुर्द–बुर्द न करें, ना ही सींव को काटे, नया रास्ता कायब नहीं करे, ना ही ऐसा कोई कृत्य अथवा अपकृत्य नहीं करें, जिससे प्रार्थीया के हितों पर विपरीत असर पडता हो।

प्रार्थीया की बहस के जवाब में अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थीया के कथनों को अस्वीकार करते हुवे कथन किया गया कि प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र गलत आधारों पर पेश किया गया है। प्रार्थी द्वारा खसरा सं. 2124/1379 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 व खसरा सं. 1381 की खातेदारी अप्रार्थी संख्या 2 ता 16 के नाम से होना स्वीकार नहीं है तथा खसरा सं. 1382 अप्रार्थी संख्या 17 ता 19 के नाम से है जिसकी तादादी 10.48 हैक्टेयर है। जबकि प्रार्थीया ने उक्त खसरे की तादादी 26.45 होना बताया है। चूंकि वाद दायरी से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 3 व 14 स्वयं ने खसरा सं. 1381, 506, 1392 वाके मोमासर में अपने–अपने हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 01.09.2021 को अप्रार्थी संख्या 9 मंजूदेवी को विक्रय कर दिया तथा अप्रार्थी संख्या 2, 4, 6 ता 8, 10 ता 13, 15 व 16 ने जरिये मुख्त्यार गुमानमल पुत्र सोहनलाल के माध्यम से अपने संयुक्त खातेदारी खेत खसरा सं. 1381, 506 व 1392 के अपने सम्पूर्ण हिस्से को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 30.12.2021 को अप्रार्थी संख्या 9 मंजूदेवी को विक्रय कर दिया था। इस प्रकार जब अप्रार्थी संख्या 2 ता 4, 6 ता 8, 10 ता 16 ने उपरोक्त खसरान् की भूमि में वर्णित अपने सम्पूर्ण हिस्से को विक्रय कर चुके है तो इन्हें हस्तगत प्रार्थना पत्र गलत रूप से पक्षकार [illegible] किया है। इस प्रकार प्रार्थीया न्यायालय में क्लीन हैण्ड [illegible] आया है। अप्रार्थीगण निर्वाद्ध रूप से आ[illegible] परन्तु अभी प्रार्थीया ने अपनी हठधर्मिता व मनमानी करते हुए हम अप्रार्थीगण के रास्ता को अवरूद्ध किया है। उक्त रास्ता [illegible] वर्षो से चल रहा है तो प्रार्थीनी को किसी भी प्रकार की अपूरणीय क्षति नहीं है। जबकि इसके विपरीत वादगत रास्ता बन्द होने से अप्रार्थीगण को भारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:17:18 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

नुकसान हो रहा है। अप्रार्थीगण अपने खेत में आवागमन नहीं कर पा रहे है। जिससे अप्रार्थीगण की सिंचित फसले खराब हो रही है। अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रार्थीया खारिज फरमाया जावें।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन व पत्रावली तथा उपलब्ध दस्तावेजात् का अध्ययन किया। प्रकरण में प्रार्थी व अप्रार्थी के कथनों से यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया की खातेदारी भूमि में से मौके पर एक चालू रास्ता मौजूद है, जिससे प्रार्थीया व अप्रार्थीगण आवागमन करते है। उक्त रास्ता भले ही कटाणी रास्ता ना हो लेकिन सुखाचार व आपसी समन्वय से पूर्व से ही चालू रास्ते के रूप में चला आ रहा है। जहाँ तक एक अन्य रास्ते का प्रश्न है, तो इसके सम्बंध में प्रार्थीया द्वारा सिर्फ मौखिक कथन किया गया है, किसी भी प्रकार का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। ऐसे में प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीया के पक्ष में साबित नहीं होता है। अतः किसी भी खातेदार/काश्तकार को उसके खेत में आने जाने से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीया बाबत् अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.01.2022 को सरे इजलास मेरे द्वारा सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी * श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:17:18 IST
Reason: SelfAttested